(81)

II/निग०/रीवा/भू-रा०/2018/0215/

न्यायालय श्री मान् अध्यक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा

जिला रीवाम०प्र०

1- लछिमन उर्फ लक्ष्मण नट पिता परमेश्वर नट उम्र 60 साल

2- सुखीलाल नट पिता परमेश्वरनट उम्र 58 साल

3- बच्चन पट पिता सुखीलाल नट उम्र 32 साल

सभी निवासी ग्राम हुआ तहसील रायपुरकर्चु० जिला रीवाम०प्र०

... पुनरीक्षणकर्ता गण / निगरानीकर्ता

बनाम

1- शिव दयाल पटेल पिता काशीनाथ पटेल उम्र 70 साल निवासी ग्राम टीव्हरी तहसील रायपुर कर्चु० जिला रीवाम०प्र० ... गैरनिगरानीकर्ता

अधि० श्री संतोष सोनी
अधिवक्ता / 03-4-18

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश अपरआयुक्त महोदय रीवासंभाग रीवा के प्र० क्र० 956/अपील/17-18 आदेश दिनांक 15.3.2018 के विरूद्ध निगरानी

निगरानीअन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959 ई०

मान्यवर,

निगरानीके आधार निम्नहै

1- यह कि अधी० न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रियाके विपरीत होने से प्रथम दृष्ट्या निरस्तगी काबिल है ।

2- यह कि आराजी नं. 252/2 रकबा 0.020 हे० भूमि स्थित ग्राम हुआ 88 पटवारी हल्का टीव्हरी सर्किल मनिकवार तहसील रायपुर कर्चु० जिला रीवाम०प्र० के दर्ज राजस्व अभिलेख भूमि स्वामी निगरानीकर्ता गण है, जिसमे निगरानीकर्ता गण का कच्चा मकानबना हुआहै, और वही मकान बरसात मेजीर्ण क्षीण अवस्था मे होने सेगिर गया थाउसी मे निगरानीकर्ता गण शासन की योजनाके तहत प्रधान मंत्री

क्र..

(81)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्र. क्रमांक II / निग. / रीवा / 18 / 2151 जिला– रीवा

लक्ष्मिन उर्फ लक्ष्मण नट. विरूद्ध शिवदयाल पटेल

(1)	(2)	(3)
18-12-18	1. आवेदक की ओर से श्री सतोष सोनी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ~~कमिश्नर~~/अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 956/अपील/17-18 में पारित आदेश दिनांक 15.3.18 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 03-04-18 प्रस्तुत की गयी है। 2. म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवदेन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये। 3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो। सदस्य	